

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार  
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका;  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

सँची, दिनांक: 09/10/2020

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 में जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) अन्तर्गत नई लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण हेतु रुपये 333.847 लाख (रुपये तीन करोड़ तैंतीस लाख चौरासी हजार सात सौ मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।


प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृति संख्या- 06/2017-18, दिनांक 24.04.2017,- 76/2017-18, दिनांक 08.02.2018 एवं 63/2018-19, दिनांक-12.02.2019

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष /उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष /उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष /उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष /विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु.)
1	2	3	4	5
1.	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	101-सतही जल/ 19- नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	05-निर्माण/ 45- निर्माण कार्य  विपत्र कोड- 50S470200101190545	333.847
आवंटित राशि - रुपये तीन करोड़ तैंतीस लाख चौरासी हजार सात सौ मात्र।				

- उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-1 में अंकित कार्य प्रमंडलों के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
- आवंटित राशि वर्ष 2020-21 के बजट उपबंध राशि रु. 2380.00 लाख (तेईस करोड़ अस्सी लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि योजना-सह-विभाग (वित्त प्रभाग) के पत्रांक-1643, दिनांक-02.09.2020 के आलोक में विभाग के राज्य योजना के लिये कुल बजट उपबंध के 25% की राशि के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 एवं 2747/वि., दिनांक-19.09.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

  
(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)



  
(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

9. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
10. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
11. आवंटित राशि से अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
12. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
15. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2021 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-15 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साइट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव

ज्ञापांक :- 63

रॉची, दिनांक :- 09/10/2020

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिन्, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/गोड्डा/देवघर/गिरिडीह सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव


ज्ञापांक :- 63

रॉची, दिनांक :- 09/10/2020

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख-I एवं II जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

  
(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

  
(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव



मुख्य शीर्ष-4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत व्यय  
लघु शीर्ष-101-सतही जल,  
उप शीर्ष-19-नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण,  
विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण  
बजट उपबंध (2020-21) - रुपये 2380.00 लाख (रुपये तेईस करोड़ अस्सी लाख) मात्र  
विपत्र कोड- 50S470200101190545

(राशि लाख रुपये में)

क्र.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति			एकराशि राशि	मार्च 2020 तक व्यय	वर्ष 2020-21 में			योजना पर कुल अवन आवंटन (10+13)	Online Allotment Access No.	अभ्युक्ति
					प्रसंग	राशि	Online प्रसंग			पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, गोड्डा (GDDMAR014)	गोड्डा	पोडैयाहाट	वीर नदी में वीयर निर्माण कार्य	06/2017-18 dt. 24.04.2017	219.603	451 dt. 02.05.2017	211.140	158.360	0.000	0.790	0.790	159.150	47788	
2			वोजारी जौर	मेघी नदी में वीयर निर्माण	76/2017-18 dt. 08.02.2018	108.150	2142 dt. 12.02.2018	100.470	70.000	0.000	3.840	3.840	73.840	47790	
3			वसंतराय	कुमारकोल नदी में श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण		165.500		144.720	65.000	0.000	3.670	3.670	68.670		
4			सुन्दरपहाड़ी	जमलपानी नाला पर चेकडैम निर्माण		78.500	2097	69.830	30.000	0.000	0.550	0.550	30.550		
5			पहाड़पुर	नाला पर चेकडैम निर्माण	63/2018-19 dt. 12.02.2019	84.540	2097	75.390	30.000	0.000	0.640	0.640	30.640		
6	गोड्डा	उपरला जौर नाला पर चेकडैम निर्माण		81.990	dt. 12.02.2019	215.120		81.150	32.000	0.000	1.720	1.720	33.720	47795	
7		पोडैयाहाट	हाथी हरियाली जौरिया पर श्रृं० चेकडैम निर्माण		215.120		205.320	85.350	0.000	8.650	8.650	94.000			
8		महागामा	मेघा नाला में श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण		182.773		112.160	73.000	0.000	2.960	2.960	75.960			
योग :-						1,136.176		1,000.180	543.710	0.000	22.820	22.820	566.530		
9	लघु सिंचाई कृताकण प्रमंडल, दुमका शिविर, देवघर (DGRMAR001)	देवघर	सारठ	अमलीरा जौरिया पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण		103.362		90.554	72.000	0.000	17.741	17.741	89.741	47796	
10			पालाजोरी	शहरजोरी परवाला देगल जौरिया पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण		103.856	2097	89.812	72.000	0.000	16.780	16.780	88.780		
11			भुली जौरिया पर श्रृं० चेकडैम निर्माण कार्य		88.386	2097	78.312	60.000	0.000	15.880	15.880	75.880			
12			डोमाडीह हलदादेगल जौरिया पर श्रृं० चेकडैम निर्माण	63/2018-19 dt. 12.02.2019	151.977	dt. 12.02.2019	134.560	53.500	0.000	5.037	5.037	58.537			
13			सोनजोरी जौरिया में श्रृं० चेकडैम निर्माण		206.404		183.287	112.000	0.000	74.601	74.601	186.601			
14	देवघर	देवीपुर	हथवारी जौरिया में श्रृं० चेकडैम निर्माण		157.305		130.023	0.000	0.000	57.370	57.370	57.370			
15		लगानातरी जौरिया में श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण		79.377		72.953	34.730	0.000	37.985	37.985	72.715				
योग :-					890.667		779.501	404.230	0.000	225.394	225.394	629.624			
16	लघु सिंचाई प्रमंडल, गिरिडीह (GRDMMR001)	गिरिडीह	जमुआ	कटुटाड़ नाला पर चेकडैम निर्माण		81.000	2097	72.950	44.00	0.000	26.604	26.604	70.604	47798	
17			दुलारी नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण	63/2018-19 dt. 12.02.2019	109.924	2097	94.785	75.00	0.000	10.443	10.443	85.443			
18			जमनी नाला पर चेकडैम निर्माण		50.950	dt. 12.02.2019	44.394	20.00	0.000	24.879	24.879	44.879			
19			धीरुआई सोल नाला पर चेकडैम निर्माण		51.032		43.632	20.00	0.000	23.707	23.707	43.707			
योग :-					292.906			255.741	159.000	0.000	85.633	85.633	244.633		
सकल योग :-					2,319.749			2,035.422	1,106.940	0.000	333.847	333.847	1,440.787		

(राजेश प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि.)(प्रशांत कुमार)  
सचिव